UPMO010071292026

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

उपस्थित–सै0 माऊज़ बिना आसिम,(उच्चतर न्यायिक सेवा) J.O.Code No.–1895

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2190/2026

1– जफर पुत्र मुस्तकीम उम्र लगभग 47 वर्ष,
2– अब्दुल करीम पुत्र इस्माईल उम्र लगभग 38 वर्ष,
3– इमरान पुत्र सगीर उम्र लगभग 31 वर्ष,
समस्त निवासीगण–ढकिया पीरू, थाना–डिलारी, जिला मुरादाबाद।

..... प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), मुरादाबाद।

.....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–100/2026,
धारा–191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 118(2), 117(2), 109(1) बी0एन0एस0,
थाना–डिलारी, जिला–मुरादाबाद।

20.07.2026

1– अग्रिम जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' उपस्थित।

2– प्रार्थी/अभियुक्तगण जफर, अब्दुल करीम व इमरान की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–100/2026, धारा–191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 118(2), 117(2), 109(1) बी0एन0एस0, थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– सुना गया एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

4– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा असगर अली द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 13.06.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, प्रार्थी ढकिया जट, थाना–डिलारी, जिला मुरादाबाद का मूल निवासी है। घटना दिनाँक 12.06.2026 को समय सांय करीब 06:30 बजे की है। प्रार्थी अपनी दुकान बन्द करके अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में जफर पुत्र मुस्तकीम, इकराम पुत्र मुस्तकीम, इस्लाम पुत्र मुस्तकीम, अफजाल पुत्र इस्माईल, फिरोज पुत्र

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.07.20 16:19:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मुस्तकीम, अब्दुल करीम पुत्र इरमाई, इमरान पुत्र सगीर, कमर पुत्र मोबीन, निवासीगण–ढकिया पीरू अपने हाथों में लोहे की रॉड व धारदार हथियार तथा लाठी–डन्डे लेकर पहले से ही एकराय होकर अपने घर के पास उन्हें जान से मारने की नीयत से खड़े थे, जब प्रार्थी अपनी दुकान बन्द करके घर को अपने चचेरे भाई अयान के साथ इनके घर के सामने से गुजरा, तो इन लोगों ने गाली–गलौच करते हुये जान से मारने की नीयत से अपने–अपने हाथों में ली हुई लोहे की रॉडें, धारदार हथियार व लाठी–डन्डों से उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे प्रार्थी के सिर में गम्भीर चोट आयीं तथा दांये हाथ व शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटे आयी हैं, अयान के भी शरीर में काफी चोटें आयीं। पास में ही प्रार्थी के चाचा सलीम भी खड़े थे, प्रार्थी व अयान को पीटता देख बचाने का प्रयास किया, तो इन लोगों ने प्रार्थी के चाचा सलीम पुत्र शरीफ, निवासी–ढकिया पीरु के साथ भी लोहे की रॉड, लात–घूंसों व लाठी–डन्डों से मारपीट की, जिससे प्रार्थी के चाचा सलीम को भी काफी चोटें आयी हैं। उनके शोर–शराबा करने पर आसपास के हाजी उस्मान, हारुन, महमूद, मोहसरीन व अन्य लोगों ने आकर उन्हें उपरोक्त लोगों से बचाया। ये लोग हेकड़ व दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, इन लोगों से उन्हें जान का खतरा है। वादी मुकदमा असगर अली की तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण जफर, इकराम, इस्लाम, अफजाल, फिरोज, अब्दुल करीम, इमरान व कमर के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा–191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 109(1) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना मामले धारा–118(2) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

5– प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किये गए हैं कि, प्रार्थीगण निर्दोष हैं, उन्हें उपरोक्त वाद में झूंठा फंसाया गया है। अभियोजन के अनुसार घटना दिनाँक 12.06.2026 की समय करीब 18:30 बजे की बताई जाती है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाँक 13.06.2026 को समय 00:40 बजे अंकित हुई है। वादी मुकदमा असगर अली द्वारा थाना–डिलारी में आठ व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी थी कि इन लोगों ने एकराय–मशबरा होकर जान से मारने की नियत से लाठी–डण्डों से गम्भीर चोटें पहुँचायी थीं, जिससे वादी मुकदमा के दांए हाथ व शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आयी थीं। प्रार्थीगण ने वादी मुकदमा व अन्य लोगों के साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही जान से मारने की नीयत से वादी मुकदमा, उसके चाचा सलीम व उसके लड़के अयान के ऊपर कोई जानलेवा हमला किया। गांव की चुनावी रंजिश के कारण प्रार्थीगण व वादी मुकदमा में आपसी कहासुनी हो गयी थी, अभियुक्त जफर द्वारा वादी मुकदमा असगर आदि के विरुद्ध उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना–डिलारी में दिनाँक 13.06.2026 को अपराध संख्या–99/2026, धारा–191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109(1)

बी0एन0एस0 में पंजीकृत करायी थी। वादी मुकदमा असगर आदि के विरुद्ध जब उक्त मुकदमा कायम हो गया था, तो क्रॉस केस बनवाने के लिए प्रार्थीगण के विरुद्ध यह झूंठा मुकदमा अंकित करा दिया। उक्त घटना में वादी मुकदमा आदि के जो चोटें आना बताया गया है, वह साधारण प्रकृति की हैं। घटना का कोई आजाद पब्लिक का चश्मदीद गवाह नहीं है। प्रार्थीगण का पूर्व में कोई अपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह सजायाफ्ता मुल्जिम हैं। प्रार्थीगण उक्त अभियोग में पूर्ण सहयोग करेंगे, न्यायालय द्वारा दिये गए सभी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, साक्षियों को डराएंगे नहीं और न ही साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे तथा प्रार्थीगण न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगे, सह–अभियुक्तगण इस्लाम, इकराम, अफजल व कमर की जमानत पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है। अतः उपरोक्त आधारों पर गिरफ्तारी की आशंका दर्शाते हुए अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, अभियुक्तगण ने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा, उसके चचेरे भाई व चाचा को जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर लाठी–डण्डों, सरिया व धारदार हथियार से हमला करके गम्भीर चोटें पहुंचायी हैं। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पाने योग्य नहीं हैं।

7– इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था पी. चिदम्बरम् बनाम प्रवर्तन निदेशालय क्रिमि. अपील नंम्बर 1340/2019, निर्णीत दिनांक 09.09.2019 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि, अग्रिम जमानत उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए जिनमें अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप आधारहीन तथा फर्जी प्रतीत होते हों।

8– इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ देहली) एवं अन्य ए.आई.आर. ऑन लाइन 2020 एस.सी. पृष्ठ 74 में यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोप, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक के पूर्व कृत्य विशेषकर पूर्व में दोषिसिद्ध आदि, आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने की सम्भावना, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुॅचाने की नीयत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक को धारा–34 व धारा–149 भा0दं0संहिता की सहायता से आरोपित करने की परिस्थिति, आवेदक को स्वतंत्र विचारण से प्रीज्युडिस होने और उसके निरूद्ध रहने से उसकी प्रताड़ना होने, आवेदक की अभिरक्षा अनुचित होने, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति

आदि तथ्यों पर विचारण करना चाहिए।

9— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि, प्रार्थी/अभियुक्तगण तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। तहरीर में प्रार्थी/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्तगण पर दिनाँक 12.06.2026 को समय सांय करीब 06:30 बजे अपने घर के सामने रास्ते में वादी मुकदमा, उसके चचेरे भाई अयान व चाचा सलीम को गाली–गलौंच करते हुए जान से मारने की नीयत से लाठी–डण्डों, लोहे की रॉड व धारदार हथियार आदि से मारपीटकर चोटें पहुंचाने के अभियोग हैं। पत्रावली पर उपलब्ध मजरूबान की चिकित्सीय आख्याओं में दो मजरूबान असगर व मौ0 अयान को पांच–पांच चोटें व मजरूब सलीम के शरीर पर तीन चोटें आना अंकित हैं। मजरूब सलीम की पूरक आख्या में उसकी नाक की हड्डी में फ्रैक्चर होना दर्शित है। मजरूबान ने अपने बयानात अन्तर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में प्रार्थी/अभियुक्तगण को घटना कारित करने वाले के रूप में नामित किया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण कोई भी ऐसा ठोस आधार दर्शित करने में असफल रहे हैं, जिससे उनकी प्रश्नगत मामले में संलिप्तता आधारहीन तथा फर्जी प्रतीत होती हो। मामले में विवेचना प्रचलित है। प्रार्थी/अभियुक्तगण की प्रश्नगत मामले में भूमिका, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, जिसमें दस वर्ष व आजीवन कारावास तक का दण्ड प्राविधानित है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्तगण अब्दुल करीब व इमरान का एक–एक अन्य मुकदमे का एवं प्रार्थी/अभियुक्त जफर का 03 अन्य मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रश्नगत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायालय इस अभिमत की है कि, प्रार्थी/अभियुक्तगण की उक्त धाराओं के अन्तर्गत अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण जफर, अब्दुल करीम व इमरान द्वारा, मुकदमा अपराध संख्या–100/2026, धारा–191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 118(2), 117(2), 109(1) बी0एन0एस0, थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद में, अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
20.07.2026

स्टेनो–राजीव कुमार।